145

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा–सह–अध्यक्ष, प्रमंडलीय बाल परिवहन समिति की अध्यक्षता में दिनांक–06.02.2025 को 12:30 बजे अपराह्न मे प्रमंडलीय सभागार में आयोजित प्रमण्डलीय बाल परिवहन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरांत आयुक्त महोदय के अनुमति से बैठक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए नियमावली की विस्तृत चर्चा के साथ प्रमंडलीय बाल परिवहन समिति की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

1. **विद्यालय वाहनों के लिए मानकः–** समीक्षा के क्रम में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि निर्धारित मानकों (यथा–वाहन में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, VLTD, Panic Button, Retro Reflective Tape, GPS, CCTV एवं स्कूल बैग रखने की उचित व्यवस्था आदि करना) के अनुरूप विद्यालय वाहन का परिचालन हो। मानक का पालन नहीं करने वाले विद्यालय वाहनों के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी नियमानुसार शमन अधिरोपण एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. **विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारीः–** प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के प्रत्येक छात्र–छात्रा के सुरक्षित परिवहन के लिए जिम्मेवार होंगे। उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा संचालित वाहन के अतिरिक्त ऐसे सभी व्यवसायिक यात्री वाहनों को सूचीबद्व करना होगा, जिनसे उनके छात्र–छात्रा विद्यालय आते हैं तथा इन सभी वाहन स्वामियों/वाहन ऑपरेटरों के साथ निर्धारित मानकों के अनुपालन के संबंध में एक समझौता करना होगा एवं उनसे इस आशय का बॉण्ड लेना होगा। किसी वाहन स्वामी/वाहन ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन की स्थिति में वैसे वाहन स्वामी/वाहन ऑपरेटर के विरूद्व कार्रवाई हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को अनुशंसा हेतु विद्यालय प्रबंधन जवाबदेह होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी प्राप्त अनुशंसा की जाँच कर दंड अधिरोपित करने हेतु अपना प्रतिवेदन नियामक प्राधिकार को देंगे। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि नियामक प्राधिकार द्वारा अबतक किसी भी जिले में कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा परिचारक/महिला परिचारक की व्यवस्था करना, यात्रा कर रहे छात्रों का ब्लड ग्रुप एवं सम्पर्क नम्बर की जानकारी रखना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि प्रमंडल अर्न्तगत सभी विद्यालयों द्वारा अब तक परिवहन प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गयी है। सभी विद्यालय प्रबंधन द्वारा परिवहन प्रभारी की नियुक्ति कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया। साथ ही अधिनियम में वर्णित सभी बिन्दु जो विद्यालय से संबंधित है, उनका अनुपालन कराना जिला शिक्षा पदाधिकारी की जवाबदेही होगी।

P.T.O.

3. **वाहन चालकों एवं परिचर की जिम्मेदारीः–** वाहन चालकों के पास भारी मोटर वाहन श्रेणी के लिए वैध ड्राईविंग लाइसेंस, परिचर के पास वैध अनुज्ञप्ति, यातायात अनुशासन के साथ–साथ अन्य सभी जिम्मेदारी का पालन वाहन चालक एवं परिचर निश्चित रूप से करेंगे। इसके शत–प्रतिशत अनुपालन हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी नियमित रूप से जाँच करेंगे एवं उल्लंघनकर्त्ता को नियमानुसार शमन अधिरोपण एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
4. **बस ऑपरेटरों एवं अन्य स्कूल वाहन ऑपरेटरों की जिम्मेदारीः–** स्कूल वाहन में सभी वैध कागजात यथा– वाहन का निबंधन प्रमाण–पत्र, वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंश, PUC सर्टिफिकेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि रखने के साथ–साथ वाहन चालक एवं परिचरों की जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित कराना भी बस ऑपरेटरों एवं अन्य स्कूल वाहन ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी। वाहन के सभी कागजातों का जाँच करना एवं उल्लंघनकर्त्ता के विरूद्व नियमानुसार शमन करने के साथ–साथ अवैध कागजातो को UPDATE कराना जिला परिवहन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
5. **माता पिता एवं अभिभावकों की जिम्मेवारीः–** बच्चों को सड़क सुरक्षा के महत्व पर शिक्षित करना, वाहन चालक एवं परिचर के किसी भी अपराध या लापरवाही के बारे में विद्यालय प्रबंधन को तुरंत सूचित करना, अपने बच्चे की बस संख्या, बस चालक एवं परिचर का टेलीफोन नंबर, विद्यालय के परिवहन प्रभारी का टेलीफोन नंबर रखना आदि माता पिता एवं अभिभावकों की जिम्मेवारी होगी।

उपस्थित पदाधिकारीयों के साथ विमर्शोपरांत उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निदेश दिए गये।

निदेशः–1. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिह्नित कर विद्यालयों की अद्यतन सूची 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर तैयार करने का निदेश दिया गया

2. तैयार की गई सूची के विद्यालयों में परिचालित हो रहे वाहनों के मानक एवं अनुमान्यता की जाँच एवं परीक्षण जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, विद्यालय वाहनों के सभी मानक एवं शर्त्तो की जाँच नियमित रूप से करेंगे तथा सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 923 दिनांक 24.12.2024 के आलोक में स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन में उपयोग हो रहे ऑटो/ई–रिक्शा को पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे।
3. नियमावली में दिये गये निदेश के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय स्तरीय बाल परिवहन समिति की बैठक आयोजित करा ली जाय। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसका समिति अनुश्रवण करेंगे। समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जाए।

4. विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों के साथ निश्चित अंतराल पर बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे और अधिसूचना में विद्यालय प्रबंधन हेतु निर्धारित सभी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे, जिसका अनुश्रवण जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगें।
5. विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहन चालक/परिचारी एवं बस ऑपरेटर और स्कूल वाहन ऑपरेटर के जिम्मेदारी का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी भी इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी समीक्षा जिला स्तरीय समिति (जिला सड़क सुरक्षा समिति) की बैठक में सभी जिला पदाधिकारियों द्वारा अवश्य की जाएगी तथा प्रमंडलीय बाल परिवहन समिति को कृत कार्रवाई से अवगत करायेंगे।
6. इस अधिसूचना (गजट) का प्रचार–प्रसार सभी अभिभावकों, वाहन चालकों एवं परिचरों तथा बस ऑपरेटरों एवं अन्य स्कूल वाहन ऑपरेटर में किया जाय और उन्हें इस नियमों के प्रति सजग किया जाय।
7. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय प्रबंधन से समन्वय स्थापित करते हुए समय–समय पर बैठक करना सुनिश्चित करेंगें तथा जिला स्तर पर सभी जिला पदाधिकारी भी इन नियमों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें।
8. नियमावली के अनुपालन नहीं करने अथवा नहीं कराने के कारण यदि कोई घटना घटती है तो इसके लिए विद्यालय प्रबंधन के साथ–साथ संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी भी जिम्मेवार होंगे।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर)
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

(हस्ताक्षर) 10/2/2025
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा
–सह–अध्यक्ष,
प्रमंडलीय बाल परिवहन समिति।

ज्ञापांक:– 77 / सहरसा, दिनांक:– 10/02/2025

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को आदर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा
–सह–अध्यक्ष,
प्रमंडलीय बाल परिवहन समिति।